

भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
विदेश व्यापार महानिदेशालय  
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 30/2023  
दिनांक: 30 अगस्त, 2023

विषय: भूटान, मॉरीशस और सिंगापुर को गैर-बासमती सफेद चावल (एचएस कोड 1006 30 90 के तहत) का निर्यात।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 20.07.2023 की अधिसूचना सं. 20 के पैरा 2(iv) में निहित प्रावधान के अनुसार भूटान, मॉरीशस और सिंगापुर को गैर-बासमती सफेद चावल (एचएस कोड 1006 30 90 के तहत) की निम्नलिखित मात्रा का निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से अनुमत है:-

- भूटान को 79000 मी.ट. गैर-बासमती सफेद चावल (एचएस कोड 1006 30 90 के तहत) का निर्यात
- मॉरीशस को 14000 मी.ट. गैर-बासमती सफेद चावल (एचएस कोड 1006 30 90 के तहत) का निर्यात
- सिंगापुर को 50,000 मी.ट. गैर-बासमती सफेद चावल (एचएस कोड 1006 30 90 के तहत) का निर्यात

2. अधिसूचना का प्रभाव:

भूटान, मॉरीशस और सिंगापुर को गैर-बासमती सफेद चावल (एचएस कोड 1006 30 90 के तहत) का निर्यात अधिसूचित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी  
30.8.2023

(संतोष कुमार सारंगी)  
महानिदेशक विदेश व्यापार  
और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार  
ई-मेल: dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/191/038/एएम-24/ईसी/ई-36779 से जारी)